



402/1

दस्तावेज 2286709

2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2990 / 05 / 76 / एक / 2015-16  
सेवा में,

दिनांक 23 अक्टूबर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में गिनालिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

| धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में) |                |                          |         |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| बैंक का नाम                   | खाता संख्या    | आईएफएससी कोड             | धनराशि  |
| एचडीएफसी बैंक                 | 02981000135746 | IFSC Code<br>HDFC0000298 | 211.983 |

(धनराशि लाख ₹0 में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक/मलिन                 | निकाय का नाम    | बस्ती/वार्ड का नाम   | प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण |
|----------|-------------|---------------------------------|-----------------|--|---|
| 1        | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त | न०पा०प० घाटमपुर | आधी गोहल पूर्वी पार्ट बी में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।  | 14.232                                  |
| 2        | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त | न०नि० कानपुर    | जालपा नगर पार्ट-ए में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।   | 13.032                                  |
| 3        | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त | न०नि० कानपुर    | जालपा नगर पार्ट बी में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।  | 8.132                                   |
| 4        | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त | न०नि० कानपुर    | बाबूपुरवा खटिकाना में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।   | 14.217                                  |
| 5        | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट               | न०नि० कानपुर    | बूढपुरमछरिया पार्ट डी में साविर झाइवर के मकान से सन्तोष प्रोविजन स्टोर तक व सम्बद्ध गलियों में, गुलजार के मकान से सहजादे के मकान तक व सम्बद्ध गलियामें, जगील के मकान से मो० खालिद के मकान होते हुये याकूब सिददीकी के मकान तक, श्रीराम के मकान से इरफान के घर होते हुये मुस्ताक प्रोविजन स्टोर तक, अंसारी मुर्गी फार्म से तैयब के मकान तक, कईर मस्जिद से इरफान दरोगा के मकान होते हुये अशर्फी बेगम के मकान तक, मुन्ना झीलू के मकान से मशरत निशा के मकान तक, बफती झाइवर के मकान से वारिस अली के मकान होते हुए जाकिर साइकिल वाले के मकान तक, व सम्बद्ध गलियों में हाजी फैजुल्ला के मकान से ताहिर अली के मकान तक, अशिष गौतम के मकान होते हुए संगीता पारावान के मकान तक, राजकुमार सोनकर के मकान से राकेश सोनकर के मकान तक व सम्बद्ध गलियों में एवं चौथी लाल के मकान से इरफान ट्रेडर्स तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 81.519                                  |

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.



402/2

| क्र. सं. | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक/मलिन   | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम  | प्रथम/द्वितीय किशत की धनराशि का प्रेषण |
|----------|-------------|-------------------|--------------|---|--|
| 6        | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0नि0 कानपुर | गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत सराय में दरोगा के मकान से राजू दूबे के घर होते हुये जगदीश पाल के मकान तक एवं जमुना प्रसाद के मकान से हरीपाल के मकान व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।   | 10.409                                 |
| 7        | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0नि0 कानपुर | गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत यूनाईटेड नगर पार्ट एक में मसवानपुर मुख्य मार्ग से सोहन लाल के मकान तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।   | 16.482                                 |
| 8        | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0नि0 कानपुर | गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत यूनाईटेड नगर पार्ट दो में रानी देवी के घर से वाजपेई जी के घर होते हुये राजेन्द्र सिंह के घर तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।  | 12.167                                 |
| 9        | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0नि0 कानपुर | गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत आदर्श नगर पार्ट-1 में रामशंकर के घर से कच्चा नाला तक व आन्तरिक गलियों में, राजा मछली वाले के घर से पन्ना लाल के घर तक एवं राजकुमार के घर से जय प्रकाश के घर तक तथा सम्बद्ध गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।  | 15.441                                 |
| 10       | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0नि0 कानपुर | गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत आदर्श नगर पार्ट-2 में बीर सिंह यादव के घर से राज बहादुर के मकान तक, अमर सिंह के मकान से वकील के मकान तक, शब्बीर जनरल स्टोर से गोपाल फल वाला तक एवं मुख्तार अहमद के मकान से पाल के घर तक एवं सम्बद्ध गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।                 | 13.705                                 |
| 11       | कानपुर नगर  | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0नि0 कानपुर | गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत आदर्श नगर पार्ट-3 में अजय के घर से गुप्ता जी के मकान एवं प्रेमचन्द्र के मकान होते हुए चन्द्र शेषर के मकान तक, राज नारायण के मकान से चन्द्र शेषर के मकान तक एवं ठाकुर प्रसाद के मकान से संजय आटो वाला तक एवं सम्बद्ध गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 12.647                                 |
|          | योग         |                   |              |   | 211.983                                |

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 30प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



402/3

दूरभाष 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5 स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाधयता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 6 प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7 परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8 योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दश में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9 उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10 प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11 अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12 शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किशत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। तथा द्वितीय किशत में अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किशत में 20 प्रतिशत धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष गौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक